न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 05 आर 15/08–09

मो0 सिद्दिक अपीलकर्ता

बनाम

मुन्ना मुण्डा प्रतिवादी

एस ए आर अपील 06 आर 15/08–09

मो0 नेजाम अपीलकर्ता

बनाम

राजकिशोर मुण्डा प्रतिवादी

आदेश

9

16.06.2008 ये दानों अपील क्रमशः एस ए आर वाद संख्या 215/06–07 में दिनांक 3.12.2007 एवं एस ए आर वाद संख्या 185/06–07 में दिनांक 30.11.2007 को विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादीगण को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा	वाद संख्या
हुजीर	24	618	31 डिसमिल	215/06–07
	24	618	62 डिसमिल	185/06–07

अपील वाद संख्या 05 आर 15/08–09 के अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि खतियानी रैयत मुकुन्द पाहन एवं धृत पाहन ने तत्कालीन जमींदार गंगाराम साहु से ऋण लिया था एवं तीन साल से लगान भी बकाया था। इस वजह से खतियानी रैयतों ने खेसरा संख्या 618 रकबा 1.24 एकड़ जमीन दिनांक 31.03.1944 को जमींदार को प्रत्यार्पित कर दिया। इसके बाद जमींदार दखल में आये तथा यह उनकी बकास्त जमीन हो गयी। बाद में जमींदार ने 7.5.1946 में मो0 इब्राहीम को बंदोबस्त कर दिया जो दखलकार हुए। कुछ दिनों के पश्चात 1960 में उसने इस जमीन पर ट्रक मरम्मत का व्यवसाय प्रारम्भ किया एवं गैरेज तथा आवासीय मकान का निर्माण किया। उसकी मृत्यु के बाद तीन पुत्र मो0 मकबुल, मो0 सादिक एवं मो0 नेजाम दखलकार हुए तथा वर्तमान में अपना अपना व्यवसाय करते हैं। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि

अपीलकर्ता के पिता ने 1960 में ही विवादित जमीन पर मोटर गैराज का निर्माण कर लिया था परन्तु निम्न न्यायालय में 2006 में भूमि वापसी का वाद दायर किया गया जो कालबाधित है। यह भी उल्लेख किया गया है कि बर्ष 1947 के पूर्व जमीन हस्तांतरण हेतु पूर्वानुमति आवश्यक नहीं थी। यह दावा किया गया है कि निम्न न्यायालय में सारे तथ्यों को जोरदार ढंग से रखा गया परन्तु न्यायालय ने इसे नजरअंदाज किया। आवेदन में यह बताया गया है कि अपीलकर्ता 31 डिसमिल जमीन पर दखलकार हैं।

अपील वाद संख्या 06 आर 15/08–09 के अपील आवेदन में भी इन्हीं तथ्यों का उल्लेख है एवं बताया गया है कि अपीलकर्ता 62 डिसमिल जमीन पर दखलकार हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अध्विक्ता ने बहस में अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही पुनः उल्लेख किया एवं उन्होंने दावा किया कि निम्न न्यायालय में प्रतिवादी नें अपनी गवाही में विवादित जमीन पर अपीलकर्ता के लम्बे समय से दखल की बात स्वीकार किया है। विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले को कालबाधित बताया एवं दावा किया कि विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विवादित जमीन पर मकान होने की बात सही है एवं प्रतिवादी को उचित मुआवजा दिला दिया जाय।

प्रस्तुत वादों में उपलब्ध तथ्यों और सभी कागजातों की जॉच के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ताओं के 1944 के प्रत्यार्पण और 1946 में इब्राहीम के हाथों बंदोबस्ती की बात गलत और असत्य है क्योंकि उसका कोई दस्तावेज वर्तमान या निम्न न्यायालय में नहीं पेश किया गया। दस्तावेजों के अभाव में यह प्रमाणित होता है कि भूमि का हस्तांतरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के विरुद्व हुआ है और यह गलत है।

अपीलकर्ताओं को धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक का भी लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिससे यह प्रमाणित हो कि उनकी संरचना पक्की है और 1969 के पूर्व की है। उन्होंने जल या विद्युत संयोजन का भी कोई दस्तावेज नहीं दिया। अंचल में भू–राजस्व देने का भी कोई रसीद न्याययालय में नहीं दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में भूमि हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46/49 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। अतएव अपील

अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी और अंचल अधिकारी, कॉके को भेजें ताकि दखल दिलाया जा सके।

दिनांकः– 16.06.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।